नम्बर व तारी
अहकाम जो ह
हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1/233	14.02.2024	11.07.2025

बउनवान

01. नोनदेई पुत्री अर्जुन पत्नि गोपाल जाति कोली निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा, हाल ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर,

वादी

बनाम

01. राजू पुत्र अर्जुन जाति कोली
02. कलावती पत्नि अर्जुन जाति कोली निवासी हल्दीना,
03. रिंकूलाल पुत्र कैलाश जाति बैरवा, निवासी 40 पटवार भवन लुहार मौहल्ला, सकट तहसील राजगढ जिला अलवर
04. सन्तरादेवी पत्नि राजेन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम ढाढोली तहसील राजगढ जिला अलवर
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

06. बिशनदेई पुत्री अर्जुन पत्नि नथेली जाति कोली निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा हाल निवासी ग्राम गारू तहसील कठूमर जिला अलवर
07. मीरादेवी पत्नि कालूराम जाति जाटव निवासी कजोता तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(क) व (घ)
जाप्ता दिवानी

—:निर्णय:—

वकील वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत तकसीम आराजी, इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया। वाद के विचाराधीन रहते हुऐ वकील प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(क) व (घ) जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया कि वादी ने मौजूदा वाद मे अपने आपको मृतक अर्जुनलाल की पुत्री बताया है। जबकि वादी मृतक अर्जुनलाल की पुत्री नही है ना ही अर्जुनलाल की पुत्री होने बाबत वादी ने कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश किये। वादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु विरासत इन्तकाल संख्या 1926 दिनांक—20.02.2016 को निरस्त करवाने हेतु तथा बयनामा दिनांक 29.02.2016 व दिनांक—22.02.2016 को शून्य करार दिये जाने हेतु तथा विवादित आराजी का तकासमा/बंटवारा किये जाने का अनुतोष चाहा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज0

है। किसी भी विवादित इन्तकाल को किसी भी वाद मे निरस्त व दुरूस्त नही किया जा सकता यदि किसी व्यथित व्यक्ति को इन्तकाल से किसी प्रकार की हानि या अधिकारो का हनन होता है तो उस इन्तकाल की अपील का प्रावधान है। इसलिये वाद मे विधि के प्रावधानों के विपरीत इन्तकाल नं. 1926 दिनांक–20.02.2016 को निरस्त करवाये जाने का अनुतोष नही दिया जा सकता। बयनामा दिनांक 29.02.2016 व दिनांक 22.02.2016 को शून्य व निरस्त करार दिये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। उपरोक्त विवादित बयनामा तब तक प्रभाव मे है विधि के अनुसार वादी द्वारा चाहा गया कोई भी अनुतोष नही दिया जा सकता। वादी द्वारा तकासमे का अनुतोष चाहा गया है। जबकि विधि का स्पस्ट मत है कि तकासमा मात्र आसामियो द्वारा ही माँगा जा सकता है। उक्त विवादित भूमि पर वादी किसी भी प्रकार की आसामी का हक व अधिकार नही रखती है ना ही वादी अविभाजित हिन्दु परिवार की सदस्य है। वादी उक्त विवादित आराजी से गैर वास्ता व्यक्ति होने के कारण वादी के पक्ष मे किसी भी प्रकार का कोई हेतुक उत्पन्न नही होता है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने के कारण तथा वादी के पक्ष मे कोई वादी हेतुक उत्पन्न नही होने के कारण वाद चलने योग्य नही है। इसलिये वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने आपको मृतक अर्जुनलाल की जायन्दा पुत्री बताते हुए पेश किया है। बाकी लेख गलत है। वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु व विवादित आराजी का एक तकासमा/बंटवारा किये जाने हेतु अनुतोष चाहा है। बाकी लेख मिथ्या, मनगढन्त वादकरण पैदा करने व प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिये दर्ज किये है। वादी ने विरासत इन्तकाल संख्या 1926 दिनांक 20.02.2016 को निरस्त करवाने तथा बयनामा दिनांक–29.02.2016 व 22.02.2016 को शून्य करार दिये जाने हेतु अनुतोष नही चाहा है। अपितु अपने अधिकारों के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी कराये जाने का अनुतोष चाहा है। किसी भी विवादित इन्तकाल को विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के अनुसार नियमित वाद के जरिये चुनौती देकर अपने अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर तथा नाकाबिल पाबन्दी करार दिलाया जा सकता है।वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। वादी अविभाजित हिन्दु परिवार की सदस्य है। वादी के पिता अर्जुन की विरासत इन्तकाल संख्या 1926 दिनांक–20.02.2016 को असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी का हक व हिस्सा गलत हथकण्डे अपनाकर हडप करने की नियत से अपने हक मे दर्ज व तस्दीक कराया है तथा मृतक अर्जुन के वारीसान की जानकारी छिपायी है। असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 भी मृतक अर्जुन की जायज वारिस काबिज जायदाद है तथा मृतक अर्जुन की विरासत मे अपना हक व हिस्सा कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार अधिकारो की घोषणा के साथ तकासमे का अनुतोष चाहा है। जो अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। वादी द्वारा अपने वाद मे जो अनुतोष घोषणात्मक, दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा चाहा गया है वह राजस्व न्यायालय ही अन्तर्गत धारा 53,88,89,92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रदान कर सकती है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि भूमि संबंधी विवाद राजस्व न्यायालय द्वारा सुनने का अधिकार है। असल प्रतिवादी ने जो एतराज प्रार्थना पत्र हाजा मे दर्ज किये है उनको जवाबदावा मे दर्ज करना चाहिये था। मुकदमा सन् 2016 से विचाराधीन है। लेकिन असल प्रतिवादी ने सन् 2025 मे प्रार्थना पत्र पेश किया है जहॉ पक्षकारान के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

मध्य स्वामित्व का विवाद हो ओर पक्षकारान के अधिकार तय होने हो, वहां पर प्रार्थना पत्र मे उठाये गये आधारो व दावा, जवाब दावा मे वर्णित अभिवचन के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षकारान की साक्ष्य लेने के बाद दावा का मेरिट पर निर्णय करना चाहिये केवल मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार नही करना चाहिये। प्रकरण पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थना पत्र वादी के खिलाफ पोषनीय नही है। सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकल अपील संख्या 05/28 दिनांक 03.11.2016, आदेशिका नकल न्यायालय हाजा दिनांक 11.08.2023 व नकल इंतकाल संख्या–1933, 1934 दिनांक–04.03.2016 पेश किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने स्वयं को मृतक अर्जुन की पुत्री होने का कथन करते हुए वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर इन्तकाल विरासत संख्या 1926 दिनांक 20.02.2016 को बातिल व बेअसर करार दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। वादी नोनदेई मृतक अर्जुन की पुत्री हो, का काई साक्ष्य या कोई ठोस प्रमाण वाद के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है। जिससे वादी के कथन की पुष्टि हो। सरपंच ग्राम पंचायत हल्दीना द्वारा क्रमांक/एसपीएल–1 दिनांक–21.06.2016 वारिस प्रमाण पत्र मृतक अर्जुन का जारी किया गया है। जिसमे मृतक अर्जुन के दो वारिस कलावती (पत्नी) एवं राजू (पुत्र) होना अंकित किया है। इस प्रकार पटवारी हल्का हल्दीना की दैनिक घटना बही दिनांक 27.01.2016 मे भी पटवारी हल्का ने मृतक अर्जुन के दो वारिस कलावती (पत्नी) राजू (पुत्र) ही होना अंकित किया एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना जाहिर किया। मौजूदा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,89,188 के अन्तर्गत विरासत इन्तकाल संख्या 1926 दिनांक 20.02.2016 को बातिल व शून्य करार दिये जाने का अनुतोष चाहा है। जबकि उक्त अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत विरासत इन्तकाल के विरूद्व अपील दायर कर ही प्राप्त किया जा सकता है। वादी अपने कथन को सिद्व कर पाने मे असफल रहे है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) वाद हेतुक प्रकट नहीं होना व (घ) वाद विधि द्वारा वर्जित होना, सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। मूलवाद खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनाक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०